




2  
7-20

### केवल नकल की फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
31-1-12	31-1-12	31-1-12	 31-1-12



न्यायालय उपजिलाधिकारी जखनियाँ, गाजीपुर

वाद संख्या- 9 धारा 143 ज0 वि0 अधि0

मौजा-खड़बाड़ीह परगना-शादियाबाद

अनिल कुमार सिंह बनाम गाँवसभा आदि

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अनिल कुमार सिंह पुत्र ~~श्रीनाथ~~ प्रबन्धक महर्षि शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, खड़बाड़ीह परगना-शादियाबाद ने गाँवसभा खड़बाड़ीह परगना-शादियाबाद को बतौर प्रतिवादी बनाते हुए मौजा-खड़बाड़ीह परगना-शादियाबाद तहसील-जखनियाँ स्थित आराजी नं0 844अ रकबा 0.304 को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त आराजी में महर्षि शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान खड़बाड़ीह का विद्यालय बन रहा है जो खेती-बारी के उपयोग में नहीं लायी जाती है। इसे अकृषिक घोषित किया जाय।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1418-1423 व बैनामें की छायाप्रति दाखिल किया है।

प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार जखनियाँ से कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रेषित किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल/रा0 नि0/नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत किया है जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया है कि ग्राम खड़बाड़ीह परगना-शादियाबाद स्थित आ0नं0 844अ रकबा 0.304 पर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, खड़बाड़ीह का भवन निर्माण हो रहा है तथा बाहारदीवारी बनी हुई है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः कृषि प्रयोजन से शिन्ध अकृषिक घोषित करने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

सूचना हेतु विपक्षीयों को सम्मन जारी किये गये जो संलग्न पत्रावली हैं। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।



मैनें तहसीलदार की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों / सबूतों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि मौजा खड्वाडीह परगना-शादियाबाद स्थित आ0नं0 844अ रकबा 0.304 पर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, खड्वाडीह का भवन निर्माण हो रहा है तथा चाहारदीवारी बनी हुई है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में धारा-143 ज0वि0अवि0 के नियम 135 के तहत आ0 ने0 को कृषि से भिन्न प्रख्यापित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

### आदेश

अतः तहसीलदार आख्या दिनांक 21.12.12 से सहमत होते हुए मौजा- खड्वाडीह परगना-शादियाबाद स्थित आ0नं0 844अ रकबा 0.304, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, खड्वाडीह को कृषि से भिन्न प्रख्यापित किया जाता है। परवाना अमल दरमद जारी हो बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक

21/01/13  
(अमित सिंह)

उपजिलाधिकारी जखनियाँ

जनपद-गाजीपुर

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित रूप घोषित है।

दिनांक:

21/01/13  
(अमित सिंह)

उपजिलाधिकारी जखनियाँ

जनपद-गाजीपुर

पुत्राणित  
तहसीलदार मजिस्ट्रेट  
जखनियाँ-गाजीपुर  
29-6-22

31/1/13



**BHULEKH**  
Uttar Pradesh

Hindi

### खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : खडवाडीह परगना : (शाहियाबाद) तहसील : जखनियाँ जनपद : गाजीपुर फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 खता संख्या : 00654  
खतादार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अंश	टिप्पणी
844अ	1.2250		आदेश तहसीलदार जखनियाँ वाद सं0 500435/10.02.2023 को आदेश हुआ कि मौजा- खडवाडीह, परगना शाहियाबाद तहसील जखनियाँ जनपद गाजीपुर स्थित आराजी नम्बर 844अ में रकबा 0.1010 हे0 मालगुजारी 4.17 रु0 जो महर्षि शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान खडवाडीह, परगना-शाहियाबाद, तहसील-जखनियाँ, जनपद-गाजीपुर द्वारा प्रबन्धक अनिल कुमार सिंह पुत्र सर्वनाथ सिंह निवासी खडवाडीह के नाम दर्ज है जिसको 3090 राजस्व सहित 2006 की धारा-80(1) के अन्तर्गत कृषि कार्य से मिला अग्रभूक प्रख्यापित किया जाता है। ह0र0का0 16.03.2023
योग	1	1.2250	